File No : DSW Emp Ex-Cell 6-2/2011 Dated : 08 Jan 2025

साक्षात्कार सम्बन्धित सूचना

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष, हमीरपुर

1. हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों के पूर्व सैनिकों/विकलांग पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि पूर्व जूनियर कमीशंड अधिकारी (JCO) के लिए सैनिक कल्याण विभाग में कल्याण सयोंजक (Welfare Organizer) के पद रिक्त हैं इन पदों के लिए **Screening/Document Check** की लिखित परीक्षा और कंप्यूटर पर प्रयोगात्मक (Practical on Computer) का आयोजन निम्नलिखित के अनुसार होगा:-

Ser No	Name of Post	Screening/ Document Check) & Test date	Cut off Date of Registration	NCO Code	Remarks
(a)	Welfare Organizer (Screening/ Document Check)	22 Jan 2025	31 Dec 24	X01.10 X01.20 X01.30 X01.35 X01.40 X01.45 X01.50 X01.55 (Post related NCO Code)	All Categories (All Distt)
(b)	Welfare Organizer Written Test & Practical on computer	06 Feb 2025			All Categories (All Distt) **Location** Ex-Servicemen Employment Cell Hamirpur

2. **अनिवार्य योग्यता (Essential qualification)**:

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कम से कम मैट्रिकुलेट होना चाहिए या सशस्त्र बलों से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

(ख) सेना से JCO रैंक या नौसेना और वायु सेना से इसके समकक्ष रैंक का होना चाहिए।

(ग) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए।

3. **कल्याण सयोंजक (Welfare Organizer)** पद से सम्बन्धित कार्य को देखते हुए सैनिक कल्याण विभाग मांग पत्र (भर्ती एवं पदोन्नति नियम) के अनुसार उपरोक्त पद के लिए लिखित परीक्षा और कंप्यूटर पर प्रयोगात्मक (Practical on Computer) लिया जायेगा | लिखित परीक्षा के लिये प्रशन पत्र सैनिकों/विकलांग पूर्व सैनिकों तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों की विभिन प्रकार की समस्याओं जो अभिलेख कार्यालय, पेंशन, स्पर्श, जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य के विभिन कार्यालयों से पत्राचार करना इत्यादि से सम्बधित प्रशन पत्र होगे |

4. पैनल केवल उन अभ्यर्थियों का तैयार किया जाएगा जो लिखित एवं कम्प्यूटर पर प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम 40% अंक उत्तीर्ण करेंगे |

5. सैनिक कल्याण विभाग में कल्याण सयोंजक (Welfare Organizer) के कार्य इस प्रकार से हैं:-

(क) जिले के सभी सेवारत , पूर्व सैनिकों, मृत सैनिकों के आश्रितों और मृत सैनिकों के परिवारों का तहसील/ विकास खंड जनगणना अभिलेख बनाए रखना।

(ख) विशेषकर आपातकाल और शत्रुता के दौरान अपने गांव से दूर तैनात सेवारत सैनिकों के कल्याण के बारे में उनके परिवारों को सूचित करना।

(ग) समय-समय पर घोषित पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास तथा सरकार या अन्य संस्थानों द्वारा उन्हें मिलने वाली रियायतों के संबंध में जानकारी का प्रसार करना।

(घ) पूर्व सैनिकों को पदक वितरित करना।

(ड) पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों या मृत रक्षा सेवा कर्मियों के मामले में आश्रितों को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करना।

(च) पेंशन की मात्रा के संबंध में पारिवारिक विवादों के मामले में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना और इसे संबंधित उप निदेशक सैनिक कल्याण के ध्यान में लाना।

(छ) भूमि विवाद या किसी अन्य विवाद के बारे में जिलाधीश (उपायुक्त) को सूचित करना।

(ज) मोबाइल कैंटीन और मेडिकल चिकित्सा शिविर की यात्रा के संबंध में जानकारी का प्रसार करना।

(झ) अपने क्षेत्र में प्रचलित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना।

(ट) सैनिक विश्राम गृह अथवा सैनिक छात्रालय जैसे भवन के निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को विस्तृत जानकारी देना।

(ठ) अपने क्षेत्र के प्रत्येक पूर्व सैनिक से तीन माह में कम से कम एक बार संपर्क करना।

(ड) पेंशन के मुद्दों के संबंध में विधिवत प्रारूपित और तैयार पत्रों के माध्यम से पेंशन और सैन्य अभिलेख कार्यालय से लिखित रूप से पत्राचार करना , पूर्व सैनिकों और सेवा कर्मियों के कल्याणकारी मुद्दों के संबंध में Part II order आदेशो का प्रकाशन और जिला प्रशासन के साथ पत्राचार करना।

6. पूर्व सनिकों/विधवाओं और उनके आश्रितों की ओर से बिभिन्न प्रकार के आवदेनों/दावों को ऑनलाइन भरने और उनके ऑनलाइन आवदेनों/दावों की जांच करने का ज्ञान होना चाहिए|

7. जिला स्तर पर पूर्व सनिकों/विधवाओं और उनके आश्रितों के समारोह (Functions) और रैलियों आयोजित करना।

8. **कल्याण सयोंजक (Welfare Organizer)** पद के लिए केवल जूनियर कमीशंड अधिकारी (JCO) है केवल वही पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष, हमीरपुर में अपनी उपस्थिती दर्ज़ करें | उपस्थित होने का समय प्रात: 10:30 बजे निधारित किया गया हैं

9. इससे सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट http://swd.hp.gov.in/ और सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश Helpline Number 01972-220221 और उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर से 01972-222825 पर संपर्क कर सकते हैं |

10. **पात्र पूर्व सैनिकों जूनियर कमीशंड अधिकारी (JCO)को निम्नलिखित दस्तावेज़ लाने होगें**:-

(क) पूरी डिस्चार्ज बुक/सैन्य सेवा विवरण |

(ख) शैक्षणिक/व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यता के सभी प्रमाण पत्र I

(ग) विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है |

(घ) रोजगार कार्यालय द्वारा जारी किया गया एक्स-10 कार्ड जो नियमानुसार नवींकृत (Renewed) किया हो | अगर आपका पंजीकृत व्यगत (Lapsed) हो चुका होगा तो आपको प्रमाण पत्रों की छानबीन में शामिल नहीं किया जायेगा I

(ड) हिमाचली मूल प्रमाण-पत्र I

(च) उक्त सभी प्रमाण पत्रों की एक-एक फोटो कापी भी साथ लायें और सभी पेजों पर स्वयं हस्ताक्षर (Self attested) करें और अपने दो मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है |

(छ) अनूसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है |

(ज) शपथपत्र नोटरी से हस्ताक्षर करवाके इस कायार्लय को प्रदान किया जाए कि आप ने पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष के माध्यम से अनुबंध/निमियत आरक्षित नौकरी नहीं ली है, न ही अन्य माध्यमों से राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश सरकार से नियमित रोजगार प्राप्त किया है। अगर इस में कोई अभ्यार्थी दोषी पाया जाता है तो वह स्वयं जिम्मेदार है।

(झ) उपरोक्त पद अनुबंध के आधार पर भरे जाने है तथा चयन हेतु आने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। अत: रहने का प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

Sd-x-x-x-x-x-
उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष
हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर

Appendix 'A'

AFFIDAVIT
(To be submitted by Ex- serviceman)

1. I_____________ Army No___________ Rank_________ resident of Village_______ PO_______ Teh_________ Distt___________(H.P) do hereby solemnly declare and affirm that neither myself nor any of my ward (i.e son/ daughter or wife) have been provided employment against the vacancies reserved for ex-servicemen under the H.P Govt./ Corporation/ Board/Autonomous Body of H.P. as well as Central and other State/Union Territory Government or Public Sector Undertaking/Autonomous Body/ Banks, etc. under the control of the said Central or other State/ Union Territory Government.

2. That if my statement found false in future, I shall be solely responsible for legal action against me.

Dated :________ Deponent

Place :________

Tehsildar/ Sub- Divisional Officer (Civil) of the area

Activ
Go to